UPEW010017052026

न्यायालय Addl. District Judge/Regular Etawah, Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Akhilesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06281**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–545/2026

1. श्रीमती रोशनी पत्नी स्व० हरिओम, पुत्री रामदास,
2. श्रीमती शीला देवी उर्फ गुड्डी पत्नी रामदास,
3. अनेक उर्फ अनेक सिंह पुत्र रामदास,

निवासीगण–ग्राम सराय मिठ्ठे, थाना–बकेवर, जिला–इटावा।

.....आवेदकगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....विपक्षी।

मु०अ०सं०–07/2026
धारा–108 भा०न्याय०सं०।
थाना–बकेवर, जनपद–इटावा।

06.04.2026

1. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र (Anticipatory Bail) अभियुक्तगण **रोशनी, शीला देवी एवं अनेक उर्फ अनेक सिंह** की ओर से अपराध सं०–07/2026, धारा–108 बी.एऩ.एस., थाना बकेवर, जनपद इटावा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र होने के सम्बंध में उनकी ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा इस तथ्य का विरोध नहीं किया गया है।

3. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी सत्यवीर पुत्र सीताराम निवासी ग्राम नगला चन्द थाना ऊसराहार जिला इटावा का निवासी है। प्रार्थी का छोटा भाई हरिओम की शादी रोशनी पुत्री रामदास निवासी ग्राम सराय मिठ्ठे थाना बकेवर जिला इटावा के साथ दिनाक 02.06.2025 को हुई थी। शादी के बाद से ही छोटे भाई हरिओम की पत्नी रोशनी व उसके ससुरालीजन उस पर परिवार से अलग रहने का दबाव बना रहे थे, परन्तु प्रार्थी के छोटे भाई हरिओम ने परिवार से अलग रहने से साफ मना कर दिया, जिस कारण रोशनी आये दिन घर में कलेश करती व आत्महत्या करके सभी को फसाने की धमकी देती थी। जिस कारण प्रार्थी के छोटे भाई हरिओम का जीवन कलह पूर्ण हो गया तथा परिवार में भी आये दिन कलह रहने लगा। प्रार्थी का छोटे भाई हरिओम अपनी पत्नी रोशनी को लेकर भाईदूज के त्यौहार पर दिनाक 23.10.2025 अपनी ससुराल

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.04.06 17:30:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ग्राम सराय मिठे थाना बकेवर इटावा गया था यहाँ विपक्षीगण क्रमशः 1. रोशनी पत्नी स्व हरिओम (पत्नी), 2. शीलादेवी उर्फ गुड्डी पत्नी रामदास (सास), 3. अनेक पुत्र रामदास (साला), 4. बबली पुत्री रामदास (सड़बाइन) समस्त निवासीगण ग्राम सराय मिठे थाना बकेवर इटावा। 5. विजय नारायण पुत्र पंचीलाल, 6. मीना पत्नी विजय नारायण निवासीगण मो बृह्मनगर थाना भरथना इटावा प्रार्थी के छोटे भाई हरिओम पर परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगे। हरिओम के मना करने पर सभी विपक्षीगण गाली–गलौज करते हुये भाई के साथ मारपीट करते हुये कमरे में बन्द कर पूरी रात प्रताड़ित किया। अगले दिन दिनांक 24.10.2025 को अनेक ने प्रार्थी को फोन कर सूचना दी कि अपने घरवालों को लेकर आओ और अपने भाई हरिओम को ले जाओ। इस सूचना पर प्रार्थी के पिता सीताराम हरिओम की ससुराल गये। यहाँ विपक्षीगणों से बातचीत कर समझा–बुझा कर तथा कुछ दिनों में बटवारा करके हरिओम को अलग करने का अश्वाशन दिया, तब हरिओम को विपक्षीगणों ने उनके साथ भेजा। घर आकर हरिओम ने रो–रोकर घर वालों को सारी बात बतायी तथा कहा कि मेरा जीवन में कभी इतना अपमान नहीं हुआ। अब मैं जीवित नहीं रह सकता और घर से बिना बताये निकल गया। प्रार्थी व परिवारीजनों ने उसके गांव व अन्य जगह तलाश किया, परन्तु हरिओम कही नहीं मिला। हरिओम में एक वीडियो बनाकर छोटे भाई अर्जुन के वाट्सअप पर सैन्ड की, जिसमें वह ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित करने की बात बता रहा है। वीडियो देखते ही प्रार्थी ने तुरन्त ही हरिओम को फोन किया, परन्तु हरिओम ने फोन नहीं उठाया। कुछ समय पश्चात हरिओम की ट्रेन के कटने की सूचना जी.आर.पी. पुलिस भरथना द्वारा दी गयी, जिसके द्वारा बताया गया कि जिस व्यक्ति का यह फोन है, वह व्यक्ति रेलवे स्टेशन भरथना के पास ट्रेन से कट गया है। प्रार्थी के भाई ने ट्रेन से कटने से पहले जो वीडियो बना कर वाट्सप पर भेजा है, जिसमें उसने आत्महत्या करने का कारण उपरोक्त सभी विपक्षीगणो को बताया है। प्रार्थी के भाई हरिओम ने विपक्षीगणों उपरोक्त के उत्पीड़न से तंग आकर तथा दिनांक 23/24.10.2025 को ससुराल ग्राम सराय मिठ्ठे थाना बकेवर जिला इटावा में हुयी घटना से आहत होकर ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या की है। प्रार्थी अपने छोटे भाई हरिओम के दाह संस्कार करने के पश्चात विपक्षीगणों उपरोक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाने थाने आया है। अतः विपक्षीगणों उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने की याचना की गयी।

5. इस आधार पर थाना बकेवर जनपद इटावा पर मु०अ०सं०–07/2026, धारा–108 बी.एन.एस., अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

6. अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुये कहा गया है कि प्रार्थीगण पूर्णतः निर्दोष है, उन्हें मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशवरे से विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई उल्लेख नही है। उपरोक्त मामले की घटना का कोई निष्पक्ष एवं चश्मदीद साक्षी नही है तथा कथित वीडियो झूठा व फर्जी है। प्रार्थिनी रोशनी के पति मृतक हरिओम के विवाह के करीब 5–6 साल पूर्व से अपने पड़ोसी गाँव की मड़ैयन की एक शादीशुदा महिला पूनम शाक्य से अवैध सम्बंध थे, जो इस समय नोएडा सेक्टर 83 में रहकर एक प्राइवेट कम्पनी में काम करती है, जिसकी मृतक हरिओम से पैदा एक 4–5 वर्ष की पुत्री भी है। दिनांक 24.10.2025 को प्रार्थिनी रोशनी को अपने मायके से ससुराल जाते समय रास्ते मं मृतक हरिओम ने बताया था कि उपरोक्त पूनम शाक्य बार–बार फोन करके हरिओम को परेशान कर रही है और कह रही है कि तूने चुपचाप रोशनी से शादी क्यों की है, तू या तो मुझे 10,00,000/–रुपया दे नही तो मैं तेरी पुत्री को लेकर तेरे घर आकर रहूंगी, जिससे मेरा बहुत दिमाग खराब है, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया हूँ, कुछ समझ में नही

आ रहा है, तत्पश्चात मृतक हरिओम ने प्रार्थिनी रोशनी को उसकी ससुराल नगला चन्द में छोड़कर बिना बताये घर से जाकर भरथना रेलवे स्टेशन पर रेल से कटकर अपनी आत्महत्या की है। दिनांक 03.02.2026 को प्रार्थिनी रोशनी के उत्पीड़न की सूचना मिलने पर प्रार्थिनी के पिता रामदास व मां शीला देवी उर्फ गुड्डी व उसके मामा कुलदीप थाना ऊसराहार की पुलिस के सहयोग से रोशनी की विपक्षीगण के चंगुल से छुड़ाकर लाये थे और इसी दौरान वादी सत्यवीर द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध यह झूठा मामला पंजीकृत कराया था। पुलिस, प्रार्थीगण को बराबर तलाश कर रही है, जिससे प्रार्थीगण को गिरफ्तारी की आशंका है। अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

7. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है अभियुक्तगण के विरुद्ध नामित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः अग्रिम प्रतिभू प्रार्थनापत्र खण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

8. केस डायरी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस मामले में आवेदकगण को अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है। उनके विरुद्ध यह अभिकथन किया गया है कि आवेदकगण ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई हरिओम को जब वह भाईदूज के अवसर पर दिनांक 23.10.2025 को अपनी पत्नी रोशनी को लेकर ससुराल सराय मिट्ठे गया, वहाँ पर मृतक हरिओम पर अपने परिवार से अलग रहने का दबाव बनाया गया, उसके मना करने पर उसके कमरे में बंद कर, उसके साथ मारपीट करना बताया गया है, जिससे आहत होकर उसके द्वारा दिनांक 24.10.2025 को भरथना स्टेशन पर ट्रेन से कटकर अपने जीवनलीला को समाप्त कर लिया। इससे पहले हरिओम द्वारा अपने भाई के व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है, जिसका अवलोकन कर विवेचक ने केस डायरी के पर्चा नं० 7 में उल्लेख किया है कि "हेलो भाईयो मैं आज मजबूर हूँ। मुझे इतना मारा मेरे ससुरालवालों ने दो दिन कल में मैं गया था 02.00 से 02.30 से मेरी मार लगा रहे है। मेरा एक साला है। अनिल व उसकी माँ और मेरा एक सड़वाई है, विजय और मेरी घरवाली और उसकी दो बहनों ने सबने मिलके मुझे घर में बन्द करके बहुत मारापीटा। पुकारा लेकिन गाँव वाले कोई बचाने नही आये, जब मुझे इतना प्रताड़ित किया। पूरी रात टोर्चर किया। मुझे सबने और इतना मजबूर कर दिया। मुझे कि हम अब जीने के लायक नही बचे और फिर जैसे कैसे भी मैंने मनाया उन्हें, उन्होंने मेरे पिता जी को बुलाया और उनसे दो लाख रुपए मांगे तब मुझे छोड़ा। इतना मुझे प्रताड़ित किया गया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि आज हम चलने के काबिल नही है और मुझे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ रही है। मुझे प्रशासन से यही गुजारिश है कि किसी को बक्सा नही जाए। इन लोगों ने मुझे इतना मारा, इतना मारा कि हम कहने के लायक मजबूर है, जैसे बचा पाये बचके आ पाये किसी बहाने से उन्होंने कहा इसे लेकर जाओ अगर इसे कुछ हो गया इसने कोई भी गलती को तुम्हें जिन्दा नही छोड़ेंगे। इस वजह से वो इतना करती है, कहीं फांसी लगाने की धमकी देती है, मुझे इतना मजबूर कर रखा है कि मह कुछ कहने के लायक नही है। मेरी ऐसी हालत कर दी, इन लोगों ने मार–मार के की हम कुछ बता नही सकते कि आज हम इतना मजबूर है कि हम कुछ कर नही सकते, अब आत्महत्या करना ही मजबूरी है।"

9. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा स्वतंत्र साक्षी व अन्य गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. अंकित किये हैं, जिसमें तहरीर में अंकित कथनों का समर्थन किया है।

10. चूँकि अभियुक्तगण पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के छोटे भाई हरिओम को अपने परिवारीजन से अलग रहने का दबाव बनाने व दिनांक 23.10.2024 को ससुराल जाने पर उसे प्रताड़ित करने, जिसके परिणामस्वरूप हरिओम द्वारा आत्महत्या करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। ऐसी स्थिति में, मैं अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **रोशनी, शीला देवी एवं अनेक उर्फ अनेक सिंह** की ओर से अपराध सं०–07/2026, धारा–108 बी.एऩ.एस., थाना बकेवर, जनपद इटावा में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अखिलेश कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
इटावा।
JO CODE UP06281

दि०–06.04.2026